''बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.''

पंजीयन क्रमांक
''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423 रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2014 — श्रावण 8, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-4/आठ-परि./2014.— छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 7 के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएं, अर्थात् —

''(3) अधिनियम के अधीन प्रत्येक रकम का भुगतान ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में, कर (टैक्स), शास्ति, ब्याज, प्रशमन शुल्क एवं शुल्क आदि का ऑनलाईन भुगतान इस विभाग की वेबसाइट www.cgtransport.org के माध्यम से, किया जा सकेगा.

परन्तु कराधान प्राधिकारी, वाहन के स्वामी को 500 रूपये तक की राशि नकद में जमा करने के लिए अपने कार्यालय में अनुज्ञात कर सकेगा.''

2. नियम 7 के उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएं, अर्थात्—

''(5) कर (टैक्स) भुगतान करने की तारीख वही होगी, जो कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में नकद में राशि जमा करने की तारीख हो.''

परन्तु नियम 14 के उप-नियम (9) के अनुसार वापसी के दावे के समायोजन द्वारा (टैक्स), भुगतान करने की तारीख, उक्त नियम के उप-नियम (2) के अधीन कर की वापसी के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th July 2014

NOTIFICATION

F 5-4/viii-Trans/2014.— In exercise of th powers conferred by Section 24 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam. 1991 (No. 25 of 1991). the State Government. hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Rules. 1991, namely —

AMENDMENT

In the said rules° —

1. For sub-rule (3) of rule 7, the following shall be substituted, namely —

"(3) Payment of every amount under the Act shall be made through online payment system and in this regard online payment of tax. penalty, interest, composition fees and fee etc. may be made through this department's website www.cgtransport.org.

Provided that the Taxation Authority may allow owner of the vehicle to deposit cash upto Rs. 500 in its office."

2. For sub-rule (5) of rule 7, the following shall be substituted, namely —

"(5) The date of payment of tax shall be the date of depositing the amount in cash in the office of the Taxation Authority.

Provided that the date of payment of tax by adjustment of a refund claim as per sub-rule (9) of rule 14 shall be deemed to be the date of presentation of application for refund of tax under sub-rule (2) of the said rule."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथ लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

"बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424 रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2014 — श्रावण 8, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-8/आठ-परि./2013.— यतः रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर द्वारा अबूझमाड़िया जनजातियों के सम्पूर्ण विकास के लिए बहुआयामी सामाजिक सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं तथा इस प्रयोजन के लिए आश्रम के स्वामित्व के विविध प्रकार के मोटरयानों, जिसमें स्कूल बस सम्मिलित है, का उपयोग गरीब तथा जनजातीय बच्चों के निःशुल्क आवागमन के लिए तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में किया जा रहा है.

और यतः, राज्य शासन का यह मत है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के सवामित्व के मोटरयानों को मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करना जनहित में वांछनीय है.

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के निम्नलिखित मोटरयान को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान रकती है, जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा, अर्थात् —

सारणी

स.क्र.	वाहन पंजीयन क्रमांक	वाहन का प्रकार	चेसिस नम्बर	इंजन नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सीजी04/4162/ 41टीआर	स्कूल बस	एमएटी455104डी 8 जे 25860	497 एसपी 68 एचडब्ल्यूवाई 644331

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th July 2014

NOTIFICATION

F 5-8/viii-Trans/2013.— Whereas, Ramkrishna Mission Ashram. Narayanpur is indulged in multidimensional social services .for the overall development of Ahhujmariya tribes and for this purpose various type of motor vehicles, including school bus owned by the Ashram are being used for free transportation of poor and tribal children and for other social services —

And whereas, the State Government is of the opinion that it would be expedient to exempt the motor vehicles owned by Ramkrishna MissiOn Ashram. Narayanpur from payment of motor vehicles tax in the public interest —

Now therefore, in excercise of powers conferred by section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No.25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the following motor vehicle, as specified in the table below, owned by the Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur from payment of motor vehicle tax leviable under Section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette. namely —

TABLE

S. No.	Vehicle Registration Number	Type of Body	Chassis Number	Engine Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CG04/4162/ 41 TR	School Bus	MAT 455104 D 8 J 25860	497 SP 68 HWY 644331

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
A. K. TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.